

संदर्भ संख्या : भाविप्रा/क्षे.मु./उ.पू.क्षेत्र./चिकित्सा/अस्पताल(एमपेनल)-02(1)/8956-59

दिनांक : 24.02.2017

सेवा में

मेसर्स ए एस जी आई अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड,
शुभम रेड स्टॉन, प्रथम तल, जी.एस.रोड़,
डाउन टाउन, गुवाहाटी

विषय : मेसर्स ए एस जी आई केयर अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड, शुभम रेड स्टॉन, प्रथम तल,
जी.एस.रोड़, डाउनटाउन, गुवाहाटी को एमपेनलमेंट करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 13.02.2017 के करार के संबंध में ।

इस संबंध में भा.वि.प्रा. द्वारा आपके अस्पताल को भा.वि.प्रा. के कार्मिक, के.ओ.सु.ब. के कार्मिक और उनके आश्रित परिवार सदस्यों को निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर चिकित्सा उपचार हेतु एम्पेनलमेंट करने में खुशी महसूस हो रहा है और दिनांक 13.02.2017 के करार अनुसार भा.वि.प्रा. और आयकर छूट न रहनेवाले अस्पताल से आंतरिक चिकित्सा लेने पर उसे कर्मचारी के लिए परिलब्धि ऐसा माना जाएगा तदनुसार कर्मचारियों द्वारा कर का भुगतान करना पड़ेगा । मेसर्स ए एस जी आई केयर अस्पताल (प्रा.) लिमिटेड के साथ करार भी लिया गया है ।

करार दिनांक 13.02.2017 से 12.02.2019 तक दो सालों के लिए प्रभावी रहेगा या आशोधित या प्रतिसंहण किया गया जो पहले हो और आपसी सहमति के अनुसार करार आगे विस्तृत होने का भी संभावना है ।

किसी भी कारण बताए अस्पताल के एम्पेनलमेंट रद्द करने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भा.वि.प्रा., उ.पू.क्षे. को है ।

पार्टियों के बीच किसी भी विवाद होने पर क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भा.वि.प्रा., उ.पू.क्षे. का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टियों के लिए बाध्य होगा ।

भवदीय,

(मिता भौमिक)

सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.)

कृते क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, उ.पू.क्षे.

आंतरिक :

1. म.प्र. (वित्त), भाविप्रा, क्षे.मु., उ.पू.क्षे., को सूचनार्थ हेतु ।
2. क्षे.का.नि. के वि.का.अ, भाविप्रा, क्षे.मु., उ.पू.क्षे., को सूचनार्थ हेतु ।
3. व.प्र. (सतर्कता), भाविप्रा, क्षे.मु., उ.पू.क्षे., को सूचनार्थ हेतु ।

संदर्भ संख्या : भाविप्रा/क्षे.मु./उ.पू.क्षेत्र./चिकित्सा/अस्पताल(एमपेनल)-02(1)/8879-81

दिनांक : 24.02.2017

सेवा में

मेसर्स स्वागत सूपर स्पेशियलिटी सर्जिकल इंस्टिट्यूट व नर्सिंग होम,
दिनेश गोस्वामी पैथ, गेट नं.04,
मलिंगोन, गुवाहाटी-11

विषय : मेसर्स स्वागत सूपर स्पेशियलिटी सर्जिकल इंस्टिट्यूट व नर्सिंग होम को एम्पेनलमेंट करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 19.05.2016 के पत्र सं.एसएचपीएल/भाविप्रा/ए-14/177-2016 के संबंध में ।

इस संबंध में भा.वि.प्रा. द्वारा आपके अस्पताल को भा.वि.प्रा. के कार्मिक, के.औ.सु.ब. के कार्मिक और उनके आश्रित परिवार सदस्यों को निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर चिकित्सा उपचार हेतु एम्पेनलमेंट करने में खुशी महसूस हो रहा है और दिनांक 15.02.2017 के करार अनुसार मेसर्स स्वागत सूपर स्पेशियलिटी सर्जिकल इंस्टिट्यूट व नर्सिंग होमके साथ करार भी लिया गया है ।

करार दिनांक 15.02.2017 से 14.02.2020 तक तीन सालों के लिए प्रभावी रहेगा या आशोधित या प्रतिसंहण किया गया जो पहले हो और आपसी सहमति के अनुसार करार आगे विस्तृत होने का भी संभावना है ।

किसी भी कारण बताए अस्पताल के एम्पेनलमेंट रद्द करने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भा.वि.प्रा., उ.पू.क्षे. को है ।

पार्टियों के बीच किसी भी विवाद होने पर क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भा.वि.प्रा., उ.पू.क्षे. का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टियों के लिए बाध्य होगा ।

भवदीय,

(मिता भौमिक)

सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.)

कृते क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, उ.पू.क्षे.

आंतरिक :

1. म.प्र. (वित्त), भाविप्रा, क्षे.मु., उ.पू.क्षे., को सूचनार्थ हेतु ।
2. क्षे.का.नि. के वि.का.अ, भाविप्रा, क्षे.मु., उ.पू.क्षे., को सूचनार्थ हेतु ।
3. व.प्र. (सतर्कता), भाविप्रा, क्षे.मु., उ.पू.क्षे., को सूचनार्थ हेतु ।